है। इस प्रकार जाति, आयु, लिंग, वंशावली, धर्म, व्यवसाय, शिक्षा तथा जीवन-यापन विधि प्रस्थिति सम्बन्धी दृष्टिकोण को उपान्तरित और सीमित करते हैं।

वर्गों के कार्य
[FUNCTIONS OF CLASSES]

वर्गों के निम्नलिखित कार्य हैं—

(i) सरलीकरण (Simplification)—व्यक्तियों का वर्गों में श्रेणीकरण संसार को सरलीकृत करने का एक साधन है। समाज में हम अजनबी व्यक्तियों से मिलते हैं, जिनके व्यक्तिगत गुणों का हम पता नहीं लगा सकते। इसलिए हम उनको वर्गीकृत करने की प्रणाली का सहारा लेते हैं और उनके साथ वर्ग के सदस्यों के रूप में व्यवहार करते हैं। ऐसे वर्गीकरण के अभाव में हमें सभी व्यक्तियों के व्यक्तिगत गुणों का पता लगाने के लिए तथा उनकी प्रस्थिति का निर्धारण करने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। उदाहरणतया, अध्यापकों की नियुक्ति सामान्यतया उपाधि-प्राप्त व्यक्तियों के वर्ग में से होती है। लोकसेवा आयोग जिसे अनेक व्यक्तियों का चुनाव करना पड़ता है और जो उसके लिए अपरिचित होते हैं, इस विधि के प्रयोग द्वारा पूर्णरूपेण कम गलतियाँ करेंगे, अपेक्षाकृत उस समय जब वे प्रार्थियों के व्यक्तिगत एवं वैयक्तिक खोज के आधार पर अध्यापकों का चुनाव करें। इसलिए विशिष्ट वर्गों के व्यक्तियों को ही प्रार्थना-पत्र देने की आज्ञा दी जाती है।

(ii) अभिप्रेरणा एवं समन्वय (Motivation and Co-ordination)—इसके अतिरिक्त, प्रतिष्ठा के आधार पर लोगों का वर्गीकरण एक वर्ग को इस योग्य बना देता है कि वह उससे प्रत्याशित कार्यों को अधिक तत्परता से करे। **डब्ल्यू. लायड वार्नर** (W. Lloyd Warner) लिखता है, "जब कोई समाज जटिल होता है, जब इसमें बहुत से व्यक्ति विभिन्न और जटिल कार्यों को करने में लगे हुए और विभिन्न रीतियों से क्रियाशील होते हैं, तो उसमें व्यक्तियों, पदों एवं व्यवहारों को मूल्यांकित एवं श्रेणीबद्ध किया जाता है। यह मुख्य रूप से इसलिए होता है, ताकि समाज स्वयं को स्थिर रखने के लिए अपने सभी सदस्यों के प्रयत्नों को साझे उद्यमों में समन्वित करके इन सभी उद्यमों को एक कार्यशील सम्पूर्ण व्यवस्था में दृढ़ एवं समाकलित कर सके।"

यह सम्भव है कि लोगों का किसी वर्ग में वर्गीकरण तथा उनको उस वर्ग की प्रतिष्ठा प्रदान करना कुछेक के लिए अन्यायकारी हो, परन्तु इस अन्याय का समाधान सामाजिक स्तरीकरण की प्रणाली को समाप्त कर देना

Scanned with CamScanner

नहीं है। इसका समाधान तो वर्गीकरण की अधिक यथार्थ एवं सुसंगत पद्धति को अपनाना है। इसके अतिरिक्त, व्यक्तियों को समाज में उस स्थान को प्राप्त करने का खुला अवसर होना चाहिए, जिसके लिए वे योग्य हैं, अन्यथा समाज में अदक्षता एवं रोष छा जायेंगे।

वर्ग-विभाजन
[DIVISION OF CLASS]

वर्गों का विभाजन निम्न प्रकार देखा जा सकता है—

रॉबर्ट बीरस्टीड (Robert Biersted) ने वर्गों को सात आधारों पर विभाजित किया है—

1. सम्पत्ति, धन और आय (Property, Wealth & Income)—वर्गों के निर्धारण में सम्पत्ति, धन और आय का विशेष महत्त्व होता है। इनके आधार पर सुख-सुविधाओं, ऊँचा जीवन स्तर तथा उच्च शिक्षा को प्राप्त किया जा सकता है। जिनके पास सम्पत्ति, धन और आय कम है उन्हें समाज में निम्न स्तर प्राप्त होता है।

2. परिवार तथा नातेदारी (Family and Kinship)—व्यक्ति का वर्ग निर्धारण में उसकी पारिवारिक स्थिति तथा नातेदारी प्रभावित करती है। किसी व्यक्ति का सम्बन्ध किस राजघराने या पूँजीपति घराने से है यह बात महत्त्वपूर्ण होती है। सामान्यजन उनकी तुलना में निम्न वर्ग में आते हैं।

3. निवास की स्थिति (Location of Residence)—व्यक्ति का निवास स्थान कहाँ है और उसके पड़ौसी किस प्रकार के हैं ? यह बात महत्त्व रखती है। शहरों की विकसित कालोनियों में रहने वाले लोगों का स्तर गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों की अपेक्षा उच्च माना जाता है।

4. निवास स्थान की अवधि (Duration of Residence)—एक स्थान में स्थायी रहने वाले की वर्ग स्थिति घूमने वाली जातियों की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है। इसलिए भारत में बहुत से लोग अपने पैतृक निवास को छोड़ना अच्छा नहीं समझते हैं।

5. व्यवसाय की प्रकृति (Nature of Occupation)—व्यवसाय भी वर्ग की स्थिति को निश्चित करता है। समाज में कुछ व्यवसाय अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ माने जाते हैं; जैसे—चिकित्सक, प्राध्यापक, इन्जीनियर, डॉक्टर, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, उद्योगपति की स्थिति अन्य लोगों से उच्च मानी जाती है।

6. शिक्षा (Education)—शिक्षा प्राप्त व्यक्ति का स्तर अशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा उच्च माना जाता है। इसलिए शिक्षा भी वर्ग निर्धारण में सहयोग करती है।

7. धर्म (Religion)—समाज में वर्ग निर्धारण में धर्म का प्रभाव प्रत्येक देश में देखा जा सकता है। धर्म के पुरोहित नेता या पुजारी आदि का समाज में अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक सम्मान होता है।

कार्ल मार्क्स का वर्ग सिद्धान्त

कार्ल मार्क्स ने आर्थिक आधार पर दो वर्ग बताये हैं—

1. पूँजीपति वर्ग (Capitalist Class)—यह वर्ग समाज में आर्थिक सत्ता प्राप्त (Haves) होता है। जिसके पास उत्पादन के साधन होते हैं। इसका उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना है, इसके लिए ये श्रमिक से अधिक-से-अधिक काम कराकर कम-से-कम वेतन देना चाहता है।

2. सर्वहारा वर्ग (Proletarial Class)—इस वर्ग के पास उत्पादन के साधन नहीं होते, (Have Nots) हैं। यह वर्ग श्रम बेचकर जीवन-निर्वाह करने वाला होता है। इनका उद्देश्य कम-से-कम काम के बदले में अधिकतम वेतन पाना होता है।

इस प्रकार पूँजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के हित एक-दूसरे के विरोधी हैं। मार्क्स की धारणा है कि सदैव दो वर्गों का अस्तित्व किसी न किसी रूप में समाज में विद्यमान रहा है। मार्क्स ने **साम्यवादी घोषणा-पत्र** में कहा है कि, "स्वतन्त्र व्यक्ति तथा दास, कुलीन तथा सामान्यजन, भू-स्वामी तथा भू-दास, श्रेणीपति और दस्तकार, संक्षेप में उत्पीड़क और उत्पीड़ित, सदा एक-दूसरे के विरुद्ध मोर्चाबन्दी करते रहे हैं, कभी छिपे, कभी

Scanned with CamScanner

प्रकट अनवरत संघर्ष चलाते रहे हैं। इस संघर्ष की परिणति हर बार या तो समाज में क्रान्तिकारी पुनर्निर्माण में हुई है, या संघर्षरत वर्गों के सामान्य सर्वनाश में।"[1]

मार्क्स के अनुसार इस संघर्ष में पूँजीपतियों और श्रमिकों में समझौता नहीं हो सकता क्योंकि पूँजीपति शोषक है और श्रमिक शोषित है। इन दोनों वर्गों के हित एक-दूसरे से टकराते हैं। अतः यह संघर्ष तभी समाप्त होगा जब पूँजीवाद का विनाश और श्रमिकों की विजय होगी।

मार्क्स उद्योगवाद के भावी विकास को ठीक न देख सका। अब प्रबन्धकीय कार्य स्वामित्व के कार्यों से भिन्न है तथा एक नये मध्य वर्ग, जिसमें क्लर्क, निचले पदों पर काम करने वाले प्रबन्धक तथा तकनीकी व्यक्ति शामिल हैं, का जन्म हुआ है। मध्य वर्ग के विकास ने पूँजीपति एवं औद्योगिक श्रमिकों के दो विलग गुटों की ओर प्रवाह को समाप्त कर दिया है। इस प्रकार, आधुनिक संसार में वर्गों के विकास के बारे में मार्क्स की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध नहीं हुई है। वर्गों के मध्य विभेद केवल आर्थिक नहीं है, अपितु सामाजिक, राजनीतिक, दृष्टिकोणीय तथा जीवन-शैली पर आधारित है। मनुष्य का व्यवहार पूर्णतया आर्थिक हितों से ही अभिप्रेरित नहीं होता।

3

वैबलिन का अवकाश-वर्ग का सिद्धान्त
[VEBLEN'S THEORY OF LEISURE CLASS]

थार्सटेन वैबलिन (Thorstein Veblen) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'अवकाश-वर्ग का सिद्धान्त' (The Theory of the Leisure Class), 1899 में प्रकाशित, में अवकाश-वर्ग के आरम्भ, उसकी प्रकृति और विशेषताओं का विश्लेषण किया है। उन्होंने मानव-संस्कृति को प्रमुख तीन अवस्थाओं में विभक्त किया है—जंगली, बर्बर और सभ्य। इन तीन अवस्थाओं को उन्होंने पुनः निम्न और उच्च में विभक्त किया है। निम्न जंगली समाजों का कोई 'अवकाश-वर्ग' नहीं था। विभेदीकरण प्रमुखतया नर और नारी के बीच श्रम-विभाजन पर आधारित था। नारी को घटिया काम सौंपे जाते थे। आदिम समाज के योद्धा समाज में परिवर्तन के साथ ही 'अवकाश-वर्ग' प्रकट हुआ। ऐसे वर्ग को उत्पन्न करने वाली दो अवस्थाएँ थीं : जीवन का पर-भक्षी ढंग (predatory mode of life) और जीवन की आवश्यकताओं का पर्याप्त या उचित संभरण (adequate supply of the necessities of life)। अंतोक्त अवस्था ने लोगों के एक समूह को उत्पादन-श्रम से मुक्त करना सम्भव बना दिया। लोगों के एक ऐसे समूह का जन्म हुआ, जो कोई उत्पादन-कार्य नहीं करता था। वे अपना समय अपने आप को बिना किसी औद्योगिक व्यवसाय में लगाये अवकाश में व्यतीत करते थे और इसी प्रकार अवकाश-वर्ग और श्रमिक-वर्ग में विभेद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अवकाश-वर्ग की परिभाषा हुई, "लोगों का ऐसा समूह जो सामाजिक संतुष्टियों के उत्पादन में कोई योगदान नहीं देता और जिसके पास अपने अवकाश का आनन्द उठाने के लिए काफी धन है।" वे अपने कुछ या बहुत से विशेषाधिकार बनाये रखते हैं, यद्यपि वे अपने कार्यात्मक महत्त्व को खो बैठते हैं। काम से छूट अवकाश-वर्ग की एक प्रमुख विशेषता है, जो इसे निम्न वर्गों से भिन्न बनाती है। बर्बरता की निम्न अवस्थाओं में **वैबलिन** का कथन है कि अवकाश-वर्ग अभी अपनी आरम्भिक अवस्था में है। बर्बरता की उच्च अवस्थाओं में रोजगार के आधार पर यह विभेद पूर्ण हो जाता है और अवकाश-वर्ग पूर्णतया स्थापित हो जाता है।

कुछ समाजों में कुछ लोगों के लिए किसी भी प्रकार के कार्य की पूर्ण वर्जना (taboo) होती है। वैबलिन ने पोलिनीशियन सरदारों का उदाहरण दिया है, जिन्हें अपने आप खाने की मनाही है। वे भूखे मर जायेंगे, परन्तु अपने मुँह में स्वयं भोजन नहीं डालेंगे। एक फ्रांसीसी बादशाह की कथा है जो आग के पास बिछाई हुई कुर्सी को नौकर की अनुपस्थिति में न उठा सकने के कारण जलकर मर गया।

यद्यपि उन आधारों में, जिन पर अवकाश-वर्ग बना था, परिवर्तन हो गया है, फिर भी वे आधुनिक समाज में बने हुए हैं। छोटे या घटिया काम के लिए आज भी आदतन नफरत है। तथाकथित उच्च वर्ग कोई काम नहीं करते। उनके पास काफी संगृहीत धन है। उन्हें काम करने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार आज भी

1 "Freeman and slave, patrician and plebeian, lord and serf, guildmaster and journeyman in a word, oppressor and opperessed, stood in constant opposition to one another, carried on an uninterrupted, now hidden, now open fight, a fight that each time ended in a revolutionary reconstitution of society at a large or in the common ruin of the contending classes."

Scanned with CamScanner

कुछ लोग सामाजिक तुष्टियों के लिए कोई उत्पादन-कार्य नहीं करते। उनके पास अपने उपभोग के लिए काफी रुपया है। वैबलिन के अनुसार संगृहीत धन, आधुनिक समाज में उच्च और निम्न के विभेदीकरण में नितान्त महत्त्वपूर्ण आधारों में से एक है।

वर्ग-चेतना
[CLASS-CONSCIOUSNESS]

समाज में वर्ग-चेतना कुछ न कुछ मात्रा में अथवा किसी न किसी रूप में अधिकांशतः सर्वव्यापी है। वर्ग-चेतना "वह भावना है जो मानव के अपने तथा अन्य वर्गों के सदस्यों के बीच सम्बन्ध को अंकित करती है।" यह "वर्ग के सदस्यों के साथ व्यवहार एवं दृष्टिकोण की समानता को अनुभव करने से सम्बन्धित है।" यह वर्ग का 'आन्तरिक स्वरूप' है जो उन व्यक्तियों को जो स्वयं को अन्य वर्गों से अलग समझते हैं, मिलता है। **मानहीम** (Mannheim) के अनुसार, वर्ग-चेतना "सामाजिक अवसरों की समानता का ज्ञान है, हितों की समानता के बारे में विचार की उत्पत्ति है, अनुभवों की इस समानता से सम्बद्ध भावनात्मक बन्धन का विकास है, तथा किसी साझे सामान्य लक्ष्य की ओर साझा प्रयत्न है।" वर्ग-चेतना ऐसा साधन है, जिसके द्वारा ऐसे व्यक्तियों, जिनकी समान सामाजिक प्रस्थिति एवं जीवन-अवसर होते हैं, का आध्यात्मिक एकीकरण साझी सामूहिक गतिविधि का रूप धारण कर लेता है। श्रमिकों की वर्ग-चेतना इस बात में है कि वे समझें कि उनके स्वार्थ साझे के हैं और चूँकि उनके स्वार्थ साझे के हैं, इसलिए उनमें वर्ग-संगठन होना चाहिए, जिससे वे अपने साझे के शत्रु पूँजीपति का सफलतापूर्वक सामना कर सकें। कार्ल मार्क्स ने श्रमिक-वर्ग में वर्ग-चेतना के विकास पर अत्यधिक बल दिया है। उसका प्रयत्न श्रमिकों में उनकी संसृष्ट (corporate) क्षमता की चेतना की वृद्धि करना था। इसलिए उसका यह नारा था, "दुनिया भर के मजदूरो इकट्ठे हो जाओ।" परन्तु केवल वर्ग-चेतना से ही किसी वर्ग को सक्रिय नहीं बनाया जा सकता, यह तो केवल समान गतिविधियों के सरल विकास के लिए भूमि तैयार करती है, जो सामाजिक आन्दोलनों के विकास के लिए अनुकूल होती है। वर्ग का कोई अंग ऐसा अवश्य उत्पन्न होना चाहिए, जो इस चेतना को क्रियाशीलता का रूप दे। ऐसा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अंग राजनीतिक दल है। यही कारण है कि लेनिन ने मार्क्सवाद में श्रमिकों को क्रांति के लिए तैयार करने हेतु दल के विचार का योग किया।

वर्ग-चेतना की शर्तें (The Conditions of Consciousness)—**गिन्सबर्ग** (Ginsberg) ने तीन शर्तों का उल्लेख किया है। पहली है, **सामाजिक गतिशीलता की सुविधा और मात्रा**। यदि दोनों ओर गतिशीलता सुगम और तेज होगी तो जीवन-यापन के भेद मिट जायेंगे। यदि गतिशीलता असम्भव है तो विभिन्न वर्गों के सदस्यों की एक-दूसरे के प्रति प्रवृत्तियाँ अभ्यस्त और अर्धस्वचालित हो जायेंगी। यदि यह सम्भव है, परन्तु सुगम नहीं तो विभेदों की चेतना बढ़ जायेगी। वर्ग-चेतना की दूसरी शर्त **प्रतिस्पर्धा और संघर्ष** है। जब किसी वर्ग के सदस्यों के हित साझे के होते हैं। स्वार्थ तभी साझे के होते हैं जब कोई साझा दुश्मन हो। उदाहरण के लिए, साझे हितों वाले मजदूरों में वर्ग-चेतना होती है, क्योंकि उन्हें साझे शत्रु पूँजीपति से अपनी रक्षा करनी होती है। उनका वर्ग लक्षण में साहचर्यिक है। तीसरा तत्त्व है, **साझी रीति-रिवाजों का विकास**, जिसमें मूल्यों के साझे मानक और साझे अनुभव होते हैं। जब सदस्यों की परम्पराएँ साझी हो जायें और उनके अनुभव साझे हो जायें तो उनमें वर्ग-चेतना की भावना आ जाती है।

संसृष्ट वर्ग-चेतना (Corporate Class-Consciousness)—संसृष्ट वर्ग-चेतना ऐसा भाव है, जो समान सामाजिक स्थिति का भोग करने वाले समूचे समूह को एकीभूत करता है। श्रमिक-वर्ग में संसृष्ट वर्ग-चेतना सबसे अधिक देखने में मिलती है जिसका विकास शक्तिशाली आर्थिक अभिप्रेरणाओं की उत्तेजना के कारण हुआ तथा जिसे पूर्ण स्थिति को ध्वसत करने या कायम रखने के संघर्ष से अधिक बल मिला। **कार्ल मार्क्स** ने श्रमिक-वर्ग में संसृष्ट वर्ग-चेतना की आवश्यकता पर अत्यधिक बल दिया। उसका लक्ष्य सम्पत्तिहीन मजदूरों, सम्पूर्ण सर्वहारा वर्ग संगठन और उसकी एकता का विकास करना था। उसके अनुसार, सर्वहारा वर्ग अनिवार्यतः सम है। इसके हित साझे हैं तथा बुर्जुआ की दया पर निर्भर है। अतएव इस वर्ग के सदस्यों में किसी प्रकार का प्रतियोगितात्मक संघर्ष उनके सामान्य हित एवं संगठन के लिए हानिकारक है।

प्रतियोगितात्मक वर्ग-भावना (Competitive Class-feelings)—प्रतियोगितात्मक वर्ग-भावना आधुनिक समाज में विकसित प्रतियोगितात्मक प्रणाली की विशेषता है। यह "वर्ग-भावना का वैयक्तिक प्रारूप

Scanned with CamScanner

है जो समूचे समूहों की स्पष्ट मान्यता अन्तर्भूत किये बिना एक-दूसरे के प्रति व्यक्तियों के आचरण का निश्चय करता है।"

मैकाइवर के अनुसार, संसृष्ट वर्ग-चेतना तथा प्रतियोगितात्मक वर्ग-भावना मूलतः प्रतिरोधी हैं। पूर्वोक्त वर्ग के साझे हित का प्रकटीकरण है, जबकि अंतोक्त अधिक मात्रा में व्यक्तिगत अथवा स्वसीमित हित को प्रकट करता है।

वर्ग-चेतना जातीय तत्त्व की मात्रा के अनुसार शक्तिशाली या निर्बल होती है। जब सामाजिक दशाएँ तथा रीति-रिवाज जीवन में मनुष्य की प्रस्थिति को स्थिर कर देते हैं तो वह अपने वातावरण के अन्य मनुष्यों के साथ स्वयं को अनुकूलित करता है। जातिप्रधान समाज (बंद समाजों) में वर्ग भावना शक्तिशाली होती है और मुक्त समाजों में निर्बल होती है।

भारतीय समाज में वर्ग व्यवस्था
[CLASS SYSTEM IN INDIAN SOCIETY]

समाज का एक समुदाय अपनी प्रस्थिति के आधार पर वर्ग का निर्माण करता है और दूसरे वर्ग से भिन्न माना जाता है। वर्ग के निर्माण में सामाजिक चेतना (Social Consciousness) का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। जब समुदाय के किसी एक भाग के सदस्य सामाजिक विभेदों के सम्बन्ध में जागरूक हो जाते हैं और उसी जागरूकता के आधार पर अपने को दूसरों से पृथक् समझने लगते हैं, तभी वर्ग का जन्म होता है।

भारतीय समाज में वर्तमान में जाति-प्रथा के साथ-साथ वर्ग-व्यवस्था का विकास देखा जा सकता है। भारत में पाये जाने वाले वर्ग पूँजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग इसका प्रमाण हैं।

भारत में वर्ग निर्माण के आधार (Basis of Class formation in India)

भारत में वर्ग निर्माण के निम्नलिखित आधार हैं—

1. सम्पत्ति और आय (Property and Income)—वर्तमान समाज में धन, सम्पत्ति या आय व्यक्ति को एक निश्चित सामाजिक प्रस्थिति प्रदान करती है जिससे व्यक्ति को विभिन्न मात्रा में सामाजिक सुविधाएँ मिल जाती हैं जिसके आधार पर व्यक्ति एक निश्चित वर्ग का सदस्य बन जाता है। अतः एक व्यक्ति के पास जितनी अधिक मात्रा में धन, सम्पत्ति या आय होगी उतने ही उच्च वर्ग का वह सदस्य माना जायेगा। इसी आधार पर भारत में एक ओर कारखानों और मिलों के मालिक करोड़पति और अरबपति हैं वहीं दूसरी ओर मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के लोग तथा भिखारी और फुटपाथ पर जिन्दगी बिताने वाले लोग पाये जाते हैं।

2. परिवार तथा नातेदारी (Family and Kinship)—भारत में परम्परागत समाज पाया जाता है जिसमें परिवार तथा नातेदारी का महत्त्व अधिक होता है। इन्हीं के आधार पर व्यक्ति को एक विशेष वर्ग का सदस्य माना जाता है। भारत में विवाह आदि के समय जीवन साथी के चुनाव में परिवार तथा नातेदारी को बहुत महत्त्व दिया जाता है।

3. निवास का स्थान (Location of Residence)—शहरों को विभिन्न मौहल्लों में बाँटा जाता है और मौहल्लों के साथ विशेष दृष्टिकोण जुड़ जाता है। अच्छे मौहल्ले और कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की सामाजिक स्थिति निर्धारित होती है; उदाहरणार्थ—'सिविल लाइन्स' या अन्य अच्छे मौहल्लों में रहने वाले लोग उच्च वर्ग में माने जाते हैं जबकि श्रमिक बस्तियों को निम्न वर्ग का माना जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि निवास स्थान का चुनाव लोग अपनी हैसियत या स्थिति के आधार पर करते हैं।

4. निवास की अवधि (Duration of Residence)—एक स्थान पर अधिक दिनों तक रहने के कारण उन व्यक्तियों की उस स्थान में विशेष प्रस्थिति या प्रतिष्ठा बन जाती है। वे अपने आपको पुराने निवासियों के वर्ग का मानने लगते हैं। जैसे परिवार में बड़ों को सम्मान दिया जाता है उसी प्रकार नगर या एक स्थान के पुराने निवासियों को सम्मान या प्रतिष्ठा स्वतः ही मिल जाती है।

5. व्यवसाय की प्रकृति (Nature of Occupation)—व्यवसाय के आधार पर सभी समाजों में स्तरीकरण देखने को मिलता है। एक चिकित्सक के पेशे को सफाई कर्मचारी के पेशे से पृथक् माना जाता है।

Scanned with CamScanner

अतः व्यवसाय के आधार पर विभिन्न वर्गों का उदय होता है। एक पेशे के लोगों में सभी व्यक्तियों में व्यवसाय के आधार पर समानता पायी जाती है; जैसे—कोई डॉक्टर चाहे वह किसी भी परिवार या जाति का है, डॉक्टर होने के नाते और डॉक्टरों के समान माना जाता है। यदि व्यवसाय में ऊँच-नीच की भावना जुड़ी हुई है तो उसी के अनुसार विभिन्न वर्गों की स्थिति उच्च या निम्न मानी जाती है; जैसे—चिकित्सक के व्यवसाय को सफाई कर्मचारी के व्यवसाय से अच्छा माना जाता है। अतः डॉक्टर की स्थिति एक सफाई कर्मचारी की स्थिति से उच्च मानी जाती है।

6. शिक्षा (Education)—शिक्षा और अशिक्षा के आधार पर भी समाज में शिक्षित वर्ग और अशिक्षित वर्ग पाये जाते हैं। शिक्षा के वर्गीकरण के आधार पर कई अन्य वर्ग भी पाये जाते हैं; जैसे—सामान्य शिक्षा (General Education), तकनीकी शिक्षा (Technical Education) आदि।

7. धर्म (Religion)—मुक्त समाजों में तो धर्म का महत्त्व कम होता है और उन समाजों में धर्म के आधार पर वर्गों का निर्माण नहीं होता परन्तु भारत एक धर्म-प्रधान देश है। यहाँ धर्म का सामाजिक महत्त्व है। यहाँ विभिन्न धार्मिक विश्वासों के आधार पर अलग-अलग वर्ग पाये जाते हैं; जैसे—हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई आदि। धर्म पर विश्वास होने या न होने के आधार पर समाज के लोगों को आस्तिक वर्ग और नास्तिक वर्ग में बाँटा जाता है।

आधुनिक भारतीय समाज में वर्ग (Classes in Modern Indian Society)

आधुनिक भारतीय समाज में निम्न वर्ग पाये जाते हैं—

1. बुद्धिजीवी वर्ग (Intellectual Class)—भारत में बुद्धिजीवी वर्ग पाया जाता है जो ब्रिटिश शासन काल में उत्पन्न हुआ था। यह पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित है तथा स्वतन्त्रता, समानता और भ्रातृत्व जैसे प्रजातन्त्रीय मूल्यों और विज्ञानवाद में विश्वास करता है। इस वर्ग को जन्म देने वालों में राजा राममोहन राय, स्वामी दयानन्द, विवेकानन्द आदि का योगदान रहा है। बुद्धिजीवी वर्ग में शिक्षकों, वैज्ञानिकों, वकीलों, न्यायाधीशों, पत्रकारों, साहित्यकारों, विचारकों, दार्शनिकों एवं समाज सुधारकों को लिया जा सकता है। यह वर्ग समाज कल्याण, पिछड़े वर्गों का उत्थान, ग्रामीण सुधार, राष्ट्रीय जागृति एवं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के निदान ढूँढ़ने का कार्य करता है।

2. शासक वर्ग (Ruling Class)—इस वर्ग में वे लोग आते हैं जो सत्ता में रहकर कार्य करते हैं तथा चुनाव जीतकर विधानमण्डलों और संसद में जाकर देश के विकास की नीतियाँ बनाते हैं।

3. नौकरशाही वर्ग (Bureaucracy)—सभी सरकारी कर्मचारी इस श्रेणी में आते हैं। इनका कार्य सरकार की नीतियों को कार्यान्वित करना होता है। यह पद सोपान प्रणाली के आधार पर संगठित रहती है। यह शासन का स्थायी अंग होता है, जिस पर सरकार बदलने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

4. पूँजीपति वर्ग (Capitalist Class)—यह देश का धनीमानी वर्ग है जिसके पास बड़े-बड़े कारखाने, खानें, मिलें आदि हैं। ये सत्ता पक्ष को प्रभावित कर अपने पक्ष में कानून बनवाते रहते हैं।

5. श्रमिक वर्ग (Labour Class)—यह वर्ग देश में सबसे बड़ा वर्ग है। यह वर्ग समस्त आर्थिक कार्यक्रमों को गति देता है। यह वर्ग श्रम के बल पर अपनी जीविका चलाता है। जीवित रहने के लिए इसे कठोर परिश्रम करना पड़ता है।

6. कृषक वर्ग (Farmer Class)—भारत में 64 प्रतिशत लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि से जुड़े हैं। कृषि के क्षेत्र में नवीन परिवर्तन हो रहे हैं।

7. व्यापारी वर्ग (Business Class)—यह वर्ग उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है और लाभ कमाता है तथा धन कमाने के लिए नैतिक-अनैतिक सभी तरीके अपनाता है।

8. स्वतन्त्र पेशों में लगा अभिजात वर्ग—इस वर्ग में डॉक्टर, वकील, कलाकार आदि आते हैं जो स्वतन्त्र रहकर अपना कार्य करते हैं। यह वर्ग किसी न किसी रूप में जन-सेवा करता रहता है परन्तु देश के सामान्य पतन से यह भी प्रभावित हुआ है और इसके सदस्य भी जन-सेवा के स्थान पर धन कमाना चाहते हैं।

Scanned with CamScanner